फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री कानसिंह पुत्र श्री डाउ सिंह, निवासी समेलिया, तह0 भीम जिला राजसमंद

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, भीम **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 13/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 05.03.2020

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, भीम को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लो0सू0 अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, भीम द्वारा जरिये पत्रांक :– सू.का अधि0/2020/106 दिनांक 11.02.2020 से रिपोर्ट प्रेषित होकर प्राप्त हुई हैं। लो0सू0 अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम की उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी श्री कानसिंह पुत्र श्री डाउ सिंह, निवासी समेलिया, तह0 भीम ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अर्न्तगत इस कार्यालय में दिनांक 08.11.2019 को जरिए डाक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही। जिसमें बिन्दु संख्या 01 से 04 तक की सूचना इस कार्यालय से संबंधित नही होने से मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय के पत्रांक सू.अ. /2019/717–18 दिनांक 19.11.2019 को विकास अधिकारी पं.स. भीम को हस्तान्तरित कर अपीलार्थी को नियत अवधी में सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया था। और प्रतिलिपि आवेदनकर्ता को भेजकर निर्देशित किया गया कि संबंधित विभाग से सूचना प्राप्त करें।

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम की रिपोर्टानुसार वांछित सूचना इस कार्यालय से संबंधित नही होकर विकास अधिकारी पं.स. भीम से संबंधित होने से अपीलार्थी वांछित सूचना विकास अधिकारी पं.स. भीम से प्राप्त करें।

अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)